जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोपालगंज।

आदेश

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भोरे ने अपने पत्रांक 988 दिनांक 04.08.2018 एवं 1051 दिनांक 24.08.2018 द्वारा श्री रवीन्द्र कुमार, ग्रामीण आवास सहायक, ग्राम पंचायत राज रकवा, प्रखण्ड भोरे का संविदा रद्द करने की अनुशंसा करते हुए उनपर निम्नलिखित आरोप गठित किया गया है :–

1. कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र में अनुपस्थित रहना।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के मात्र 04 लाभुकों में 01 लाभुक का द्वितीय किस्त का भुगतान किया जाना एवं पूर्ण आवासों की संख्या शून्य होना।
3. पंजी का संधारण नहीं करना।

श्री रवीन्द्र कुमार, ग्रामीण आवास सहायक, ग्राम पंचायत राज–रकबा, प्रखण्ड–भोरे की संविदा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भोरे के द्वारा रद्द करने की अनुशंसा के आलोक में इस कर्यालय के पत्रांक 1230 दिनांक 15.09.2018 द्वारा श्री कुमार से पत्र प्राप्ति के साथ ही स्पष्टीकरण की मांग की गई। इस पत्र द्वारा उन्हें यह भी निदेशित किया गया कि आपसे स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि आपने अपना दोष स्वीकार कर लिया है। ऐसी परिस्थिति में आपकी संविदा रद्द करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी। श्री कुमार से उक्त स्पष्टीकरण का जवाब अबतक अप्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 1100 दिनांक 25.08.2018, 1268 दिनांक 18.09.2018 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के सम्बंध में श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गई परन्तु उनसे स्पष्टीकरण का जवाब प्राप्त नहीं हुआ। जिला स्तर पर दिनांक 06.07.2018 (ज्ञापांक 820 दिनांक 11.07.2018), 20.08.2018 (ज्ञापांक 1058 दिनांक 23.08.2018), दिनांक 13.09.2018 (ज्ञापांक 1351 दिनांक 03.10.2018), दिनांक 05.10.2018 (ज्ञापांक 1470 दिनांक 10.10.2018) एवं दिनांक 11.10.2018 (ज्ञापांक 1487 दिनांक 15.10.2018) को आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना की बैठक में भी श्री कुमार अनुपस्थित पाये गये एवं बैठक की कार्यवाही में दिए गए निदेशों अनुपालन उनके द्वारा नहीं किया गया। जिससे यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि श्री कुमार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत जिला स्तर/प्रखण्ड स्तर से दिये गये निदेशों की निरंतर अवहेलना की गई है। जो उनके कर्त्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही का द्योतक है।

अतः प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भोरे द्वारा उपरोक्त वर्णित आरोपों एवं अनुशंसा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा की गई कारण पृच्छा का जवाब नहीं देने, जिला स्तर पर आयोजित विभिन्न बैठकों में अनुपस्थित रहने, कार्यवाही में दिये गये निदेशों का अनुपालन नहीं करने, अपने वरीय पदाधिकारी के आदेश का अवहेलना करने तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के साथ किये गये एकरारनामा की कंडिका संख्या–10 के प्रावधान **"The employer may terminate this contract without giving any notice in the event of 7 or more days of continuous unauthorized absence of the 2nd party."** का उल्लंघन करने के मामले में श्री रवीन्द्र कुमार, ग्रामीण आवास सहायक, ग्राम पंचायत राज–रकबा, प्रखण्ड–भोरे का अनुबंध अनाधिकृत रूप (दिनांक 24.08.2018) से अनुपस्थित रहने की तिथि से रद्द करते हुए उन्हें चयन मुक्त किया जाता है। यदि वे चाहें तो रद्द आदेश के विरूद्ध अपील विभागीय सचिव/प्रधान सचिव के समक्ष अनुबंध रद्द आदेश पारित किये जाने की तिथि के तीन माह के अन्दर कर सकते हैं।

ह०/-
जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

ज्ञापांक 2002 / दिनांक 18.12.18

प्रतिलिपिः– श्री रवीन्द्र कुमार, ग्रामीण आवास सहायक, ग्राम पंचायत राज–रकबा, प्रखण्ड–भोरे को सूचनार्थ एवं उपरोक्त आदेश अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला–गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भोरे को निदेश दिया जाता है कि उक्त पत्र का तामिला संबंधित कर्मी को अपने स्तर से कराते हुए प्रतिवेदन प्रेषित करें तथा उनसे संबंधित प्रभार यथा मोबाईल, अभिलेख/संचिका, पंजी आदि प्रभार प्राप्त कर सूचना से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया को सूचित करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. गोपालगंज को जिला के वेबसाइट पर प्रदर्शनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमण्डल पदाधिकारी, गोपालगंज/हथुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।